

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	773.90 92.10 866.00	2577.04 7.02 2584.06	3350.94 99.12 3450.06	773.90 61.67 835.57	2741.75 17.45 2759.20	3515.65 79.12 3594.77	1200.00 150.00 1350.00	3478.06 6707.05 10185.11	4678.06 6857.05 11535.11	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं <i>अन्य राजकोषीय सेवाएं</i>	2052	...	66.37	66.37	...	66.18	66.18	...	70.37	70.37
2. राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	...	11.07	11.07	...	11.61	11.61	...	11.48	11.48
3. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	2047	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
4. अन्य व्यय	2047	...	0.21	0.21	...	0.22	0.22	...	0.21	0.21
<i>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</i>										
5. तेरहवां वित्त आयोग	2070	...	13.80	13.80	...	13.59	13.59
6. निवेश आयोग	2070	...	0.90	0.90	...	0.75	0.75
7. अन्य व्यय	2070	...	3.26	3.26	...	3.76	3.76	...	3.72	3.72
<i>विविध सामान्य सेवाएं</i>										
8. गारंटी विमोचन निधि को अन्तरण	2075	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
9. अन्य कार्यक्रम	2075	...	0.12	0.12	...	0.07	0.07	...	0.03	0.03
<i>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</i>										
10.01 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा विधि को अन्तरण के लिए एक मुश्त प्रावधान	2235	1000.00	...	1000.00
10.02 अन्य व्यय	2235	...	0.01	0.01	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
11. केंद्रीय सड़क निधि										
11.01 केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	958.36	...	958.36	827.11	...	827.11	876.73	...	876.73
11.02 मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान	3054	958.36	...	958.36	827.11	...	827.11	876.73	...	876.73
11.03 रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट सहायता	3054	241.64	...	241.64	241.64	...	241.64
11.04 घटाइए-केंद्रीय सड़क निधि से पूर्ति	3054	-958.36	...	-958.36	-827.11	...	-827.11	-876.73	...	-876.73
	जोड़	1200.00	...	1200.00	1068.75	...	1068.75	876.73	...	876.73
<i>अन्य परिवहन सेवाएं</i>										
12.01 लाभांश राहतों और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	3075	...	2086.43	2086.43	...	2243.44	2243.44	...	2829.88	2829.88
12.02 सामरिक रेल लाइनों का संचालन करने के लिए रेलवे को हानियों की प्रतिपूर्ति	3075	...	600.00	600.00	...	654.48	654.48	...	600.00	600.00
	जोड़	...	2686.43	2686.43	...	2897.92	2897.92	...	3429.88	3429.88
<i>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>										
13.01 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान	3466	...	4.74	4.74	...	4.80	4.80	...	2.19	2.19
13.02 अफगानिस्तान पुनर्निर्माण निधि को अंशदान (एआरटीएफ)	3466	1.00	1.00	...	1.00	1.00
13.03 विश्व बैंक टीए	3466	3.00	3.00	...	12.50	12.50
14. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2416	...	45.01	45.01	...	45.00	45.00	...	40.00	40.00
	3475	...	13.81	13.81	...	9.42	9.42	...	9.23	9.23
	जोड़	...	58.82	58.82	...	54.42	54.42	...	49.23	49.23
15. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
<i>सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश</i>										
16.01 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466	...	6704.04	6704.04	...	6762.69	6762.69	...	294.83	294.83
16.02 प्राप्य भारतीय रुपयों के समायोजन मूल्यांकन के प्रति एमओवी	5466	9182.33	9182.33
घटाइए : प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से पूरा किया गया	6001	-12836.26	-12836.26	...	-0.01	-0.01
	निवल	...	6704.04	6704.04	...	3108.76	3108.76	...	294.82	294.82

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			(करोड़ रुपए) बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17. अवसंरचना विकास के लिए सहायता	5475	150.00	...	150.00	45.95	...	45.95	480.26	...	480.26
18.01 भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	5475	...	10.50	10.50	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00
18.02 पीपीपी को मुख्यधारा में लाने संबंधी क्रियाकलाप	5475	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10
घटाइए : सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से पूरा किया गया	5475	...	-12.60	-12.60	...	-9.10	-9.10	...	-9.10	-9.10
	<i>निवल</i>
अन्य व्यय										
19.01 एक्जिम बैंक आफ इंडिया को ब्याज समीकरण सहायता	3475	...	278.00	278.00	...	139.41	139.41	...	130.00	130.00
19.02 अन्य व्यय	3475	...	15.06	15.06	...	15.11	15.11	...	14.24	14.24
	<i>जोड़</i>	...	293.06	293.06	...	154.52	154.52	...	144.24	144.24
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग										
20. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	3605	...	22.05	22.05	...	22.43	22.43	...	22.55	22.55
21. अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	...	16.56	16.56	...	20.01	20.01	...	19.51	19.51
22. विकास सहायता-भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम	3605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
23. बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4075	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
24. विदेशी सरकारों को विकास सहायता श्रीलंका	7605	...	0.01	0.01	...	2.84	2.84	...	0.01	0.01
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल										
25. एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	...	894.00	894.00	...	894.00	894.00	...	1063.20	1063.20
घटाइए - वसूलियाँ	4046	...	-894.00	-894.00	...	-894.00	-894.00	...	-1063.20	-1063.20
	<i>निवल</i>
कुल जोड़		1350.00	10185.11	11535.11	1114.70	6669.59	7784.29	2356.99	4365.45	6722.44
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सड़कें और पुल	13054	1200.00	...	1200.00	1068.75	...	1068.75	876.73	...	876.73
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	150.00	...	150.00	45.95	...	45.95	480.26	...	480.26
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	1000.00	...	1000.00
जोड़		1350.00	...	1350.00	1114.70	...	1114.70	2356.99	...	2356.99

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संस्थान के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. इसमें जमा राशियों पर ब्याज के प्रति अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के लिए प्रावधान है।

4. यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मंहगाई भत्ता निक्षेप लेखा और अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप लेखा में जमा पर ब्याज के लिए है।

6. यह प्रावधान निवेश आयोग के लिए है।

7. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में सचिवालय व्यय के लिए है।

8. यह प्रावधान गारंटी विमोचन निधि के प्रति अन्तरण करने के लिए है।

9. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों, तथा सीएए एंड ए प्रभाग को विश्व बैंक अनुदान देने के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है। इसके साथ-साथ देशीय सहयोग ढांचा-II-विदेशी संघटक के लिए एक स्थानीय सहायता परियोजना के संबंध में छुट-पुट भुगतान करने के लिए है।

10. आयोजना के अन्तर्गत प्रावधान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण करने और आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों - संरक्षित बचत स्कीमों के अन्तर्गत प्रावधान करने हेतु है।

11. इसमें आयोजना के लिए प्रावधान में मानव रहित रेलवे-क्रासिंग पर रेलवे लाइन के ऊपर पुलों/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार आवंटित किए गए पेट्रोल और डीजल पर लेवी के लिए उपकर का प्रावधान है। इसमें महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्रावधान है। प्रावधान में रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए भी अतिरिक्त बजट सहायता की भी व्यवस्था है।

12. यह सामान्य राजस्व में से रेलवे को संदेय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है।

13. इसमें एसडीआर लेखों के प्रशासन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय मूल्यांकन प्रभारों हेतु प्रावधान है। प्रावधान में अफगानिस्तान न्यास निधि (एआरटीएफ) और विश्व बैंक टी.ए. के लिए अंशदान भी शामिल है।

14. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान आई एफ ए डी के संसाधनों के लिए अंशदान आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन को अंशदान, राजकोषीय सम्पर्कों के नेटवर्क और एशियाई विकास बैंक के तकनीकी कार्यक्रम (इंडिया ट्रस्ट फंड) हेतु प्रावधान शामिल है।

15. यह प्रावधान अनिवासी भारतीय बांड के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए किया गया है।

16. इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अफ्रीकन विकास निधि की पूंजी पुनःपूर्ति के भारत के हिस्से में निवेश तथा अफ्रीकन विकास बैंक के पूंजी स्टाक

के प्रति अंशदान हेतु प्रावधान शामिल हैं। इसमें आईएमएफ में भारत के कोटे में वृद्धि होने तथा भारतीय रुपए में इसकी धारिता के पुनर्मूल्यन की वजह से मूल्य अनुसरण (एसओपी) के कारण आईएमएफ को भुगतान करने का भी प्रावधान है। इस प्रावधान में एशियाई विकास बैंक को अंशदान भी शामिल है।

17. इसमें अवसंरचना परियोजनाओं में बजटीय सहायता बढ़ा कर नए फंडिंग तंत्र को स्थापित करने के लिए आयोजना प्रावधान शामिल है। यह अर्थ क्षमता अंतर निधियन (वीजीएफ) के प्रावधान के माध्यम से सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नव निधिकरण तंत्र स्थापित करने अवसंरचना विकास को भी सहायता करता है।

18. प्रावधान में अवसंरचना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को मुख्य धारा में लाने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता शामिल है।

19. इसमें भारत सरकार से समर्थित ऋण शृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक आफ इंडिया को ब्याज समीकरण सहायता के लिए इमदादों का प्रावधान है। इसमें भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय; भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, वाशिंगटन और टोक्यो; विभिन्न आर्थिक अनुसंधानोन्मुख संस्थाओं/संगठनों को अनुदान हेतु प्रावधान है।

20-21. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं।

22. सांकेतिक प्रावधान विकास सहायता के लिए अनुदान सहायता के लिए है।

23. इसमें बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद हेतु प्रावधान है।

24. यह प्रावधान मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए आशयित है।

25. यह प्रावधान सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए किया गया है।